BRBJ010075842019

SC/ST Case no. 162/2019

(एस0सी0/एस0टी0 थाना काण्ड संख्या 36 सन् 2019)

सूचक	राज्य द्वारा :– रामबाबू रजक, पिता– स्व0 जगरनाथ रजक, ग्राम+पोस्ट –राजापुर बाजार (इंगलीश), थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्तगण	1. बैजनाथ साव उम्र करीब 56 वर्ष, वल्द– स्व0 मोतीचन्द साव, साकिन– राजापुर, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
	2. सुरेन्द्र साव उम्र करीब 44 वर्ष, वल्द– स्व0 मोतीचन्द साव, साकिन– राजापुर, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
	3. मंदीप साव उम्र करीब 27 वर्ष, वल्द– वैजनाथ साव, साकिन– राजापुर, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
	4. दीपक साव उम्र करीब 28 वर्ष, वल्द– वैजनाथ साव, साकिन– राजापुर, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
	5. टुनटुन साव उम्र करीब 37 वर्ष, वल्द– शिवजहान साव, साकिन– राजापुर, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
	6. गोविन्द साव उम्र करीब 27 वर्ष, वल्द– वैजनाथ साव, साकिन– राजापुर, थाना– कोईलवर, जिला– भोजपुर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्तगण की ओर से :– श्री सुशील कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता।

घटना की तिथि	25.09.2019
प्राथमिकी की तिथि	27.09.2019
आरोप पत्र की तिथि	26.02.2020
आरोप विरचना की तिथि	24.03.2026
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	26.03.2026
निर्णय तय करने की तिथि	01.04.2026
निर्णय की तिथि	01.04.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-------------

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
ए–1	बैजनाथ साव	22.01.20	22.01.20	धारा 341, 323,504,506,34 भा0द0वि0, एवं 3(i)(r), 3(s) SC/ST Act	दोषमुक्त	–	–
ए–2	सुरेन्द्र साव	22.01.20	22.01.20		दोषमुक्त	–	–
ए–3	मंदीप साव	22.01.20	22.01.20		दोषमुक्त	–	–
ए–4	दीपक साव	22.01.20	22.01.20		दोषमुक्त	–	–
ए–5	टुनटुन साव	22.01.20	22.01.20		दोषमुक्त	–	–

ए–6	गोविन्द साव	19.03.26	19.03.26				

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) दीपक साव (5) टुनटुन साव (6) गोविन्द साव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम 1989 के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सूचक रामबाबू रजक पिता स्व0 जगरनाथ रजक ग्राम+पोस्ट – राजापुर बाजार (इंगलीश), थाना–कोईलवर, जिला– भोजपुर दिनांक 25.09.2019 को समय रात्रि 8:20 बजे के आस–पास आराम कर रहा था तभी मेरे घर की बिजली कट गयी। जब मैं घर से बाहर निकला तो देखा की सभी जगह बिजली है तथा मेरे घर में आने वाली बिजली का तार गीर गया है। तब मै बांस के लग्गी से उस तार को लगाने लगा इस दरम्यान वार्ड सदस्य संगीता देवी का घर का बल्ब बूझ गया जिसके कारण वार्ड सदस्य के पति (1) बैजनाथ साव (बनरटन साव) पिता मोतीचन्द साव अपने घर से भद्दी – भद्दी गाली देते हुए निकले तथा आक्रोश में गाली देते हुए बोले की अरे धोबिया तोर अतना मजाल की हमार घर के लाइन काट देले। माधरचोद इतना मारब की सब गर्मी निकल जाई। मैने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं। मैं आपका तार ठीक कर दे रहा हूँ। इतना कहते ही वो मुझपर टूट पड़े तथा मुझे जमीन पर पटक दिये तथा अपने घर के लोगों क्रमशः (2) मंदिप साव (3) दीपक साव (4) गोविन्दा साव, पिता बैजनाथ साव हाथ में डंडा तथा लोहे का रड लेकर आये और मुझ पर हमला कर दिये। इसके बाद तुरंत इसी बीच (5) टुनटुन साव पिता– स्व0 शिव जन्म साव (6) सुरेन्द्र साव पिता स्व0 मोतीचंद साव आये तथा सभी ने मिलकर जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट करने लगे। मारपीट के क्रम में बैजनाथ साव (बनरटन साव) के द्वारा जान मारने की नियत से मुझे पटककर मेरा गला दबाने लगे। जिससे पड़ोस के लोगो ने मुझे बचाया। इस मारपीट में मेरे बॉए ऑख के उपर कट गया तथा दाहिने हाथ में काफी चोटे आयी। जिससे मै घायल हो गया इसी बीच मंदीप साव मेरे बेटे सत्येन्द्र कुमार के गले से 25 ग्राम के सोने का चैन खींच कर भाग गया। जख्मी हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोईलवर में अपना इलाज कराया।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड संख्या – 36/19 दिनांक 27.09.2019 अंतर्गत धारा 323, 341, 307, 379, 504, और 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अधीन अभियुक्तगण बैजनाथ साव एवं 5 अन्य के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) गोविन्द साव (5) दीपक साव (6) टुनटुन साव के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र संख्या 16/2020 दिनांक 26.02.2020 अंतर्गत धारा 341/323/504/506/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध में न्यायालय में समर्पित

किया गया। इस मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 07.12.2020 को अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) गोविन्द साव (5) दीपक साव (6) टुनटुन साव के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 24.03.2026 को धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्तगणों को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्तगणों द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

5. इस मामले में अभियोजन साक्षीयों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा– 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) गोविन्द साव (5) दीपक साव (6) टुनटुन साव का बयान दिनांक 26.03.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगणों ने अपने को निर्दोष बताया।

1-4-2026

6. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल 1 साक्षीं यथा अभियोजन साक्षी संख्या 1. राम बाबू रजक को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. राम बाबू रजक ने बताया है कि मैं इस केस के सूचक हूँ, इन्होने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मै धोबी जाति का हूँ जो अनुसूचित वर्ग में आता है। यह घटना आज से सात–आठ वर्ष पूर्व की है। रात्रि करीब आठ बज रहा था। तभी मेरे घर की बिजली कट गई। बैजनाथ साव का बिजली टोकन पर चलता था। जब मै बास की लगी से अपने तार को लगाने लगा तो बैजनाथ साव के घर की बिजली गुम हो गई। इसी आक्रोश में बैजनाथ साव मेरे साथ गाली–गलौज करने लगे और मुझे धोबिया जाति कहकर गाली देने लगे और लाठी डंडा ईट से मारपीट करने लगे। मारपीट में हम चोटील हो गये थे। मारपीट में गोविंद साव, सुरेन्द्र साव और उनके परिवार के लोग थे। लिखित आवेदन मैंने थाना पर दिया था, वह मेरे दामाद अशोक कुमार रजक ने लिखा और उस लिखित आवेदन पर मैने भी अपना हस्ताक्षर बनाया। मैं अपने दामाद के हस्ताक्षर को पहचानता हूँ इसे प्रदर्श पी 1/1 अंकित किया जाता है और पुरे आवेदन को प्रदर्श पी 1/2 अंकित किया जाता है। आज न्यायालय के डॉक में जितने लोग उपस्थित है, वे सभी लोग मारपीट में शामिल थे। मैं सभी अभियुक्तों को पहचानता हूँ।

इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में कहा है कि घटना के समय रात थी। जो आज न्यायालय के डॉक में खड़े है, वे लोग मेरे साथ कोई मारपीट नही किये थे। ये लोग घटनास्थल पर भी मौजुद नही थे। एफ.आई.आर में क्या लिखा हुआ था, मैनें उसकों न तो पढ़ा था और न ही मुझे पढ़कर सुनाया गया था, मैनें केवल

उसपर हस्ताक्षर बना दिया था। मेरे साथ किसी भी अभियुक्त ने जाति सूचक शब्द धोबिया कहकर अपमानित नही किया था। मैं आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के बयान दिया हूँ।

9. इस मामलें में राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंतिम बहस में कहा गया कि अभियोजन पक्ष सूचक के साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित आरोंपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

10. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विद्वान् अधिवक्ता का अंतिम बहस में कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 01 साक्षी को परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी सूचक द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नही किया गया है। प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहिन है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते है।

परिशीलन (Discussion)

1.4.2020

11. उभय पक्षों के तर्को को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

12. आपराधिक विधि का यह स्थापित नियम है कि अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। इस संबंध में अभियोजन पर अपने मामले को सिद्ध करने का उतना ही भार रहता है, जितना एक व्यक्ति उस पर युक्तियुक्त विश्वास कर सके, इससे अधिक नही।

13. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दर्शित है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा सूचक सहित कुल 1 साक्षी को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता को न्यायालय में प्रस्तुत करा परीक्षित नही कराया है।

अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी संख्या 1 की साक्ष्य समीक्षा से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 केस का सूचक है तथा इसने अपने साक्ष्य मे एस0सी0/एस0टी जाति का सदस्य बताया है। साक्षी का आगे कथन है कि यह घटना आज से सात–आठ वर्ष पूर्व हुआ था। बैजनाथ साव का बिजली टोकन पर चलता था। जब मै बास की लगी से अपने तार को लगाने लगा तो बैजनाथ साव के घर की बिजली गुम हो गई। इसी आक्रोश में बैजनाथ साव मेरे साथ गाली–गलौज करने लगे और मुझे धोबिया जाति कहकर गाली देने लगे और लाठी डंडा ईट से मारपीट करने लगे। मारपीट में सूचक चोटील हो गये थे। मारपीट में गोविंद साव, सुरेन्द्र साव और उनके परिवार के लोग थे तथा लिखित आवेदन का पहचान भी किया है। परन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के समय रात थी तथा जो लोग आज न्यायालय के डॉक में खड़े है, वे लोग घटनास्थल पर मौजूद नही थें तथा मेरे साथ कोई मारपीट नही किए थे एवं एफ.आई.आर में क्या लिखा था, मैने उसकों न तो पढ़ा था और न ही पढ़कर सुनाया गया था, मैने केवल हस्ताक्षर बना दिया था। मेरे साथ किसी ने जाति सूचक शब्द धोबिया कहकर अपमानित नही किया था।

। इस साक्षी का मुख्य परीक्षण मे दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में स्थिर नही रहा है तथा इसका साक्ष्य बिखंडित होना पाता हूँ।

इस प्रकार समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 साक्ष्यविधि की दृष्टि में महत्वहीन है तथा प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहीन है।

18. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक समीक्षा के उपरांत यह पाता हूँ कि चूंकि आपराधिक मामले में सबुत का भार सदैव अभियोजन पर होता है एवं आपराधिक मामले में जितना गंभीर अपराध हो, उतना ही स्पष्ट एवं कठोर साक्ष्य आना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यो न हो, वह सबुत का स्थान नहीं ले सकता। इसी प्रकार यह भी सुस्थित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना सही होता है। अतएव यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) गोविन्द साव (5) दीपक साव (6) टुनटुन साव के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) गोविन्द साव (5) दीपक साव (6) टुनटुन साव को साक्ष्य के अभाव में आरोपित धारा 341/34, 323/34, 504/34, 506/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3(i)(r)(s) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से उन्हें संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

19. उपस्थित अभियुक्तगण (1) बैजनाथ साव (2) सुरेन्द्र साव (3) मंदीप साव (4) गोविन्द साव (5) दीपक साव (6) टुनटुन साव जमानत पर है। अतः उसे उसके जमानत व बंधपत्र के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

Sailendra Kumar Panda

(शैलेन्द्र कुमार पांडा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।
दिनांक 1.4.2026

लेखापित

Sailendra Kr Panda

(शैलेन्द्र कुमार पांडा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।
दिनांक 01.4.2026

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सत्यमेव जयते
आरा